दिनांक 03.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 04/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रायबरेली/थाना गुरूबक्शगंज

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 03 लाख 62 हजार रूपये नगद**
- **लूट के धन से कय की गयी मोटर साइकिल**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 03.12.2024 को थाना गुरूबक्शगंज व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डोमापुर मोड़ के पास से 04 अभियुक्तों 1–राकेश 2–विकास 3–गौरव उर्फ गोलू 4–शिवा को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 03 लाख 62 हजार रूपये नगद, लूट के धन से कय की गयी मोटर साइकिल, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 01.12.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गुरूबक्शगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राकेश निवासी ग्राम सुल्तानपुर जाला थाना लालगंज जनपद रायबरेली।

2–विकास निवासी बैसखा थाना डलमऊ जनपद रायबरेली।

3—गौरव उर्फ गोलू निवासी ठकुराइन खेड़ा थाना खीरों जनपद रायबरेली।

4—शिवा निवासी ग्राम जैनापुर थाना खीरों जनपद रायबरेली।

बरामदगी

1—लूट के 03 लाख 62 हजार रूपये नगद।

2—लूट के धन से क्रय की गयी मोटर साइकिल।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद जौनपुर/थाना मीरगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 190 गैस सिलेण्डर**
- **01 टाटा मैजिक वाहन बरामद**

दिनॉकः 02.12.2024 को थाना मीरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोलनापुर निर्माणाधीन नहर पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1—धर्मवीर उर्फ जानू 2—सौरभ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 190 गैस सिलेण्डर, 01 टाटा मैजिक वाहन बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना मीरगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद गैस सिलेण्डर चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—धर्मवीर उर्फ जानू निवासी ग्राम हरिपुर सरायदासू सैदाबाद थाना हंडिया, प्रयागराज हालपता—करौहा थाना उतरॉव, प्रयागराज।

2—सौरभ निवासी ग्राम चिल्ला कला थाना सोहागी जनपद रीवा, म0प्र0 हालपता—सैदाबाद थाना हंडिया, प्रयागराज।

बरामदगी

1—चोरी के 190 गैस सिलेण्डर।

2—01 टाटा मैजिक वाहन।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 अवैध पिस्टल**
- **01 चोरी की मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 02/03.12.2024 की रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1—चेतन स्वरूप उर्फ सोनू 2—प्रवीण कुमार 3—आसीन 4—कार्तिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 06 अवैध पिस्टल, 01 चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त चेतन स्वरूप उर्फ सोनू के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, हाथरस के विभिन्न थानों पर चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चेतन स्वरूप उर्फ सोनू निवासी ग्राम कपूरा थाना चन्दपा जनपद हाथरस।

2—प्रवीण कुमार निवासी ग्राम नगलादेव थाना गोण्डा जनपद अलीगढ़।

3—आसीन निवासी रितौली थाना शिवाजी कालोनी जनपद रोहतक, हरियाणा।

4—कार्तिक निवासी फौजी कालोनी थाना शिवाजी कालोनी जनपद रोहतक, हरियाणा।

बरामदगी

1—06 अवैध पिस्टल।

2—01 चोरी की मोटर साइकिल।

जनपद सहारनपुर/थाना सदर बाजार

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल**
- **चोरी की मोटर साइकिल के पार्ट्स**
- **01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद**

दिनॉकः 03.12.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से 03 अभियुक्तों 1–सोनू उर्फ साजिद 2–नितिन कुमार 3–शोएब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल, चोरी की मोटर साइकिल के पार्ट्स, 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू उर्फ साजिद निवासी शक्ति विहार कालोनी थाना मॉडल टाउन जनपद पानीपत, हरियाणा।

2–नितिन कुमार निवासी नवीन नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

3–शोएब निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 09 मोटर साइकिल।

2–चोरी की मोटर साइकिल के पार्ट्स।

3–01 फर्जी नम्बर प्लेट।

जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 किलो 366 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनॉकः 02.12.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन रामलीला मैदान के पास से अभियुक्त 1–एनुद्दीन अली 2–अभियुक्ता

को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 20 किलो 366 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–एनुद्दीन अली निवासी बिहापारा थाना तामूलपुर जनपद बक्सा, असम।

2–अभियुक्ता

बरामदगी

1–20 किलो 366 ग्राम अवैध गांजा।

- **जनपद इटावा/थाना फ्रेण्डस कालोनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना फ्रेण्डस कालोनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/404 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजीव कुमार को आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद औरैया/थाना कोतवाली औरैया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया़ द्वारा थाना कोतवाली औरैया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संदीप को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना जहांगीराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहऱ द्वारा थाना जहांगीराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 04 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नितिन कुमार को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना चोपन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना चोपन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मुन्नु को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना हापुड़ नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 08 वर्ष के कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आकाश उर्फ अक्कू को 08 वर्ष के कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना सकरन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना सकरन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 306 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अरविन्द को 07 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफः थाना चांदीनगर जनपद बागपत क्षेत्र से रू0 25,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी अरूण गिरफ्तार।</u>

दिनांक 02-12-2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना चांदीनगर, जनपद बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2024 धारा 103(1)/109/61(2) बीएनएस के अभियोग में वांछित रू0 25,000/-के पुरस्कार घोषित अभियुक्त अरूण को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः</u>

अरूण पुत्र राजवीर निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।

<u>बरामदगी-</u>

1- 01 अदद तमंचा 315 बोर

2- 03 अदद कारतूस जिन्दा ।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः-</u>

ग्राम सिखेडा से सांकलपुटटी की तरफ जाने वाले मार्ग पर थाना चांदीनगर जनपद बागपत क्षेत्र। दिनांक 02-12-2024 समयः लगभग 22.11 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के कुख्यात/सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड

इकाई, मेरठ के निर्देशन में निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 02–12–2024 को निरीक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 टीम जनपद बागपत में भ्रमणषील थी, कि इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना चांदीनगर जनपद बागपत पर दर्ज मु0अ0स0 210/2024 धारा 103(1)/109/61(2) बीएनएस में वांछित ईनामी अपराधी अरूण किसी से मिलने के लिए ग्राम सांकलपुटटी की ओर जाने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा थाना चांदीनगर की पुलिस जो ग्राम सिखेडा शिव मंदिर के पास मौजूद थी, को साथ लेकर अभियुक्त अरूण को ग्राम सिखेडा से सांकलपुटटी की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित ट्यूबवैल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अरूण ने पूछताछ पर बताया कि वह पहली बार वर्ष–2013 में थाना बडौत, जनपद बागपत से हत्या के प्रयास के मामलें में जेल गया था उसके बाद इसने अपने साथी के साथ मिलकर वर्ष–2014 में अपने गांव के रहने वाले कलीराम की हत्या की घटना को अन्जाम दिया था। वर्ष 2021 में भी इसके द्वारा थाना चांदीनगर क्षेत्र में अपने साथी के साथ मिलकर मोनू त्यागी की हत्या की घटना को अन्जाम दिया था। दिनांक 29.10.2024 को अभियुक्त अरूण ने अपने साथी ज्ञानेन्द्र ढाका, सोनू छिल्लर, अक्षय के साथ मिलकर प्रवीण उर्फ बब्बू चेयरमैन निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत की हत्या कर दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध थाना चांदीनगर जनपद बागपत पर मु0अ0सं0 210/2024 धारा 103(1)/109/61(2) बीएनएस पंजीकृत हैं। उक्त घटना में संलिप्त सोनू छिल्लर व ज्ञानेन्द्र ढाका को जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त अरूण के विरूद्ध थाना चांदीनगर, जनपद बागपत पर मु0अ0सं0 223/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त अरूण का अपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	705/13	147/307 भादवि	बडौत	बागपत
2	133/14	302/120बी भादवि	बडौत	बागपत
3	304/17	323/336/504 भादवि व एससी/एसटी एक्ट	बडौत	बागपत
4	416/17	3/10 गुण्डा अधि0	बडौत	बागपत
5	31/21	302/120बी भादवि	चांदीनगर	बागपत
6	126/21	3/25/27 आर्म्स एक्ट	चांदीनगर	बागपत
7	01/22	2/3 गैगस्टर एक्ट	चांदीनगर	बागपत
8	210/24	103(1)/109/61(2) बीएनएस	चांदीनगर	बागपत
9	223/24	3/25 आर्म्स एक्ट	चांदीनगर	बागपत

———